संख्या-3/2015/217/38-3-15-57(अधि0)/2014

प्रेषक,

डा0 हरिश्चन्द्र,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश् शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक- 20 फरवरी, 2015

विषय:-अग्रगामी विकास योजना, अजीतमल, जनपद इटावा/औरैया के ग्राम विकास अधिकारियों को ग्राम्य विकास विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर सेवा स्थानान्तरण पर तैनात किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0ओ0-453/स्था0-2/ग्रा0वि0अ0/प्रति0/2014, दिनांक 20 जनवरी, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त ग्राम्य विकास विभाग में पूर्व से सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत अग्रगामी विकास योजना, अजीतमल जनपद इटावा/औरैया के ग्राम विकास अधिकारियों श्री धनंजय प्रसाद, श्री सुभाष चन्द्र राय, श्री सुरेन्द्र यादव तथा श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह को फरवरी, 2016 अथवा सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति (जो भी पहले हो) तक के लिए ग्राम्य विकास विभाग में सेवा स्थानान्तरण पर बनाये रहने की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) सम्बन्धित कार्मिकों का धारणाधिकान उनके मूल विभाग (निदेशक, विकास एवं अन्वेषण प्रयोग प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 कालाकांकर भवन, लखनऊ) में बना रहेगा।

(2) इन कार्मिकों को ग्राम्य विकास विभाग में वरिष्ठता एवं अन्य पदोन्नति आदि का कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(3) सम्बन्धित कार्मिकों को ग्राम्य विकास विभाग में किसी भी पद पर समायोजन, नियमित नियुक्ति, पदोन्नति का अधिकार नहीं होगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in